

Form-XVI-A

"Certificate of amendment in Memorandum/By-laws of the Society under Sub-section (3) of Section 26 of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 "

(See rule 17(3))

Certificate of amendment in the Memorandum/By-laws of the Society

I hereby certified that [SEVADHARAM PATIENT CARE SOCIETY] (name of the society), which was registered on [2014-01-10 00:00:00] vide registration number [806] under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 and having duly passed a special resolution in terms of section 26(1) of the Act, the approval to the amendment in memorandum/by-laws of the Society is hereby granted as under:-

Clauses deleted	Clauses Amended	Clauses Added
NA	CONVERSION OF BYLAWS AND MEMORANDUM FROM ENGLISH TO HINDI	NA

Given under my hand at [Faridabad] this [21] day of (month) [Feb] (Year) [2019]



Sh. Anil choudhary
Place:Faridabad
(Signature of the District Registrar)



Verification Link: <https://haryanaindustries.gov.in/msme/verify/verifyamendmentcertificate/id/1047/ref/2019-02-0000047>

एक सोसाइटी के लिए आदर्श उपनियम (बहु-उद्देश्य)

एक कॉलेजरी के बिना

1. संस्था का नाम: सेवाधर्म पेसेंट केयर सोसायटी (एन.जी.ओ)

2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय (पूर्ण डाक पता) पर होगा।

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं .948, सेक्टर -28, फरीदाबाद -121008, हरियाणा, भारत

3. संस्था, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में अपनी प्रमुख गतिविधियों को पूरा करेगी।

4. सदस्यता:

1. संस्था के संस्थापक सदस्य / मूल सब्सक्राइबर सहित अधिकतम 250 सदस्य होंगे।

2. योग्यता: संस्था के सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए, एक व्यक्ति को निम्न योग्यता होना अनिवार्य है:

i. प्रवेश की तारीख में 21 वर्ष की उम्र का होना चाहिए।

ii. संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों की सदस्यता होनी चाहिए।

iii. संस्था के सदस्य के रूप में जारी रहने के लिए प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करना आवश्यक है और वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि के अनुसार किसी भी तरह के सदस्यता शुल्क में बकाया नहीं होना चाहिए।

iv. एक दिवालिया और अस्वस्थ मन नहीं होना चाहिए। तथा

V. एक वर्ष या उससे अधिक की कारावास से जुड़ी नैतिक विषमता के अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए।

vi. संस्था से लाभ लेने वाला व मानदेय लेने वाला किसी भी व्यक्ति को संस्था में प्रवेश व सदस्यता शुल्क जमा करना होगा।

i. संस्था से लाभ लेने वाला व मानदेय लेने वाला सदस्य की संख्या सीमित नहीं है।

ii. कोई भी व्यक्ति संस्था में दान कर सकती है।

iii. संस्था में दान देनेवाला सदस्य दान दाता सदस्य है।

iv. दान दाता सदस्य की संख्या सीमित नहीं है।

3. सदस्यों के प्रकार / प्रकार / श्रेणियां: संस्था में चार अलग-अलग श्रेणियों के सदस्य शामिल होंगे:

i. संस्थापक सदस्य-एक ऐसे सदस्य जिसने संस्था के पंजीकरण के समय एक संस्थापक सदस्य के रूप में स्वीकृति लिया है और संस्था में संस्थापक सदस्यता शुल्क दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। संस्थापक सदस्यों को भी बनने के लिए समझा व देखा जाएगा।



For Sevadharm Patient Care Society

अनीता बाजपेयी
President Secretary Treasurer

LIST OF GOVERNING BODY OF SOCIETY UNDER HARYANA AND ALL OVER INDIA SOCIETY ACT-2017

S.No.	Name	Address	Occupation	Designation	SIGN	PHOTO
1	Smt. Anita Vajpayee W/O Shri A.K. Bajpai	C/O-Kedarnath Gupta Hanuman Mandir Gudri Mahola Gwalior Mp	Social Worker	PRESIDENT		
2	Awadhesh Kumar	H.No.- 1244 , Sector- 28, Faridabad, Haryana	Service	SECRETARY		
3	Pranav	H.No.- 948 , Sector- 28, Faridabad, Haryana	Service	TRESURAR		
4	Vishal Tiwari S/O- Mr. Vijay Kumar Tiwari	H.No.- 116 , East Kariya Pather Jabalpur(Mp)	Self Employee	VICE- PRESIDENT		
5	Govind Guru S/O R.N Guru	Ward 17 Anad Bag Rajendra Ward Pipariya Hosangabad Mp	Service	MEMBER		
6	Manoj Singh Chauhan S/O Sh. Fatehn Singh	H.No. 16, Shamshad Road Village Nagiya UP	Service	MEMBER		
7	Raghvendra Sharma S/O Shri Laxmi Narayana Sharma	Kalpi Braj Colony Gola Ka Mandir Residency Road Morar Gird Gwalior Mp	Service	MEMBER		
8	Ms.Richa Bakshi S/o Sh. Pawan Bakshi	Hno 1283 A Sector-29 Housing Board Colony Faridabad Haryana	Service	MEMBER		
9	Satvinder Kour W/O -Late Shri Puran Bhan	H.No.- 370, Gali No 30 Near Shamshan Ghat Road Molar Band Extn Badarpur South Delhi	Service	MEMBER		
10	Pankaj Tripathi S/O Jagdish Narayan Tripathi	Golpahariya Navgrah Colony Sec-2 Lashkar Gwalior Mp	Service	MEMBER		
11	Sonu Kumar S/O Ramkishun Prasad	Vill Moniyampur Post Bhojpur Distt Nalanda Bihar	Service	MEMBER		



For Savadharan Patient Care Society



 President Secretary Treasurer

S.No.	Name	Address	Occupation	Designation	SIGN
1	Smt. Anita Vajpayee W/O Shri A.K. Bajpai	C/O-Kedarnath Gupta Hanuman Mandir Gudri Mahola Gwalior Mp	Social Worker	PRESIDENT	
2	Awadhesh Kumar	H.No.- 1244 , Sector- 28, Faridabad, Haryana	Service	SECRETARY	
3	Pranav	H.No.- 948 , Sector- 28, Faridabad, Haryana	Service	TRESURAR	
4	Vishal Tiwari S/O- Mr. Vijay Kumar Tiwari	H.No.- 116 , East Kariya Pather Jabalpur(Mp)	Self Employee	VICE- PRESIDENT	
5	Govind Guru S/O R.N Guru	Ward 17 Anad Bag Rajendra Ward Pipariya Hosangabad Mp	Service	MEMBER	
6	Manoj Singh Chauhan S/O Sh. Fatehn Singh	H.No. 16, Shamshad Road Village Nagiya UP	Service	MEMBER	
7	Raghvendra Sharma S/O Shri Laxmi Narayana Sharma	Kalpi Braj Colony Gola Ka Mandir Residency Road Morar Gird Gwalior Mp	Service	MEMBER	
8	Ms.Richa Bakshi S/o Sh. Pawan Bakshi	Hno 1283 A Sector-29 Housing Board Colony Faridabad Haryana	Service	MEMBER	
9	Satvinder Kour W/O -Late Shri Pura Bhan	H.No.- 370, Gali No 30 Near Shamshan Ghat Road Molar Band Extn Badarpur South Delhi	Service	MEMBER	
10	Pankaj Tripathi S/O Jagdish Narayan Tripathi	Golpahariya Navgrah Colony Sec-2 Lashkar Gwalior Mp	Service	MEMBER	
11	Sonu Kumar S/O Ramkishun Prasad	Vill Moniyampur Post Bhojpur Distt Nalanda Bihar	Service	MEMBER	



ii. **जीवनभर का सदस्य (आजीवन सदस्य)**- संस्था में कुछ निर्धारित व्यक्ति को ही आजीवन सदस्य बनाया जायेगा जो की संस्था के पंजीकरण के समय आजीवन सदस्यता शुल्क दिया है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के लिए संस्था के आजीवन सदस्य बने रहेंगे। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या _____ से अधिक नहीं होगी।

iii. **सामान्य सदस्य** - संस्था में कुल _____ सामान्य सदस्य होंगे जो अपनी सदस्यता का केवल तब तक पालन करते रहेंगे। जब तक कि वे अपने वार्षिक सदस्यता शुल्क के भुगतान में कोई बकाए राशि नहीं होते। एक सामान्य सदस्य को दो से पांच वर्ष तक संस्था के कार्यकाल का सदस्य माना जा सकता है, और वह अपने कार्यकाल के पूरा होने पर संस्था का सदस्य नहीं माना जाएगा। व आगमी कार्यकाल के लिए संस्था के संस्थापक सदस्य के द्वारा नवीनीकृत किया जायेगा।

iv **माननीय सदस्य**- माननीय सदस्य- संचालक मंडल प्रतिष्ठित प्रतिभाओं और योग्यता वाले व्यक्तियों को माननीय सदस्य स्वीकार कर सकता है या संस्था के लिए मेहनती व कार्यरत माना जाता है। जिन्होंने संस्था के लिए उत्कृष्ट योग्यता की सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो या जो भारत के किसी प्रतिष्ठित नागरिक हो सदस्यता शुल्क के भुगतान करके चालक मंडल से सहमति प्राप्त करने के बाद संस्था के माननीय सदस्य बन सकता है। सदस्य ऐसे मानदकों की संख्या _____ से अधिक नहीं होगी। मानद सदस्य बैठकों में भाग लेने और विचार-विमर्श में योगदान करने के हकदार होंगे, लेकिन वोट करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4. सदस्यता शुल्क और वार्षिक सदस्यता:

i. सोसायटी की सदस्यता के लिए दरें और वार्षिक सदस्यता निम्नानुसार होगी:

जैसा कि संस्था द्वारा अपने उपन्यास में तय किया जा सकता है:

क्रमांक	सदस्यता का प्रकार	प्रवेश शुल्क	वार्षिक सदस्य
i.	संस्थापक सदस्य	5100.00	Nil
ii.	आजीवन सदस्य	3100.00	Nil
iii.	साधारण सदस्य	500.00	300.00
iv.	मानद सदस्य		



For Sevadharm Patient Care Society

[Signature]
President Secretary Treasurer

ii. एक सदस्य की वार्षिक सदस्यता का भुगतान हर साल के 1 अप्रैल को हो सकता है, जो कि इसी वर्ष के 30 जून तक नवीनतम भुगतान किया जा सकता है। वार्षिक सदस्यता जमा नहीं करने पर सदस्य की सदस्यता को दिनांक (30 जून) के बाद निलंबित माना जाएगा और ऐसे सदस्य को उस वर्ष के 1 जुलाई के बाद आयोजित समाज के चुनाव के दौरान अपना वोट देने का हकदार नहीं होगा।

iii. वार्षिक सदस्यता के भुगतान में भूलचूक के संबंध में सदस्यता के निलंबन को देय राशि पर 18% ब्याज के साथ डिफॉल्ट के साथ मंजूरी दे दी गई हो सकती है। हालांकि, वित्तीय वर्ष के शेष के दौरान आयोजित किसी भी चुनाव में वह अपने वोट के मामले में पात्र नहीं होंगे।

5. प्रवेश प्रक्रिया (सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए)

i. संस्था के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय-समय पर उसके संचालक मंडल के द्वारा तय किया जाएगा।

ii. एक इच्छुक व्यक्ति को संस्था के सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति को एक निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत करके संस्था के सचिव के साथ-साथ एक नियमित सदस्य द्वारा भरे हुए फार्म पर हस्ताक्षरित कराकर संस्था में उस फार्म को दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

iii. सचिव, आवेदन की जांच करेंगे और निर्णय लेने के लिए संचालक मंडल से पहले सहमति लेंगे।

iv. संचालक मंडल आवेदन स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं और इस संबंध में संचालक मंडल के निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस फैसले के लिए किसी भी कारण को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

v. संचालक मंडल के अनुमोदन को सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, इस तरह से बनाए रखा जाएगा और हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन नियम, 2012 के तहत निर्धारित अनुसार फार्म और उन्हें संस्था के एक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

6. प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र: प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था के एक सदस्य के रूप में है उन्हें एक पहचान पत्र दिया जाएगा और उसका /उसकी तस्वीर, संक्षिप्त विवरण और सदस्यता श्रेणी, जिस पर संस्था के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

7. सदस्यों के अधिकार और दायित्व:

i. संस्था के सभी सदस्यों को अपने उप-नियमों में समाहित नियमों और विनियमों द्वारा समर्थित परामर्श दिया जाएगा।



For Sevadharam Patient Care Society

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
President Secretary Treasurer

- ii. मानद सदस्य को छोड़कर हर सदस्य को संस्था के चुनाव में अपना मत डालने का अधिकार होगा, बशर्ते ऐसा सदस्य संस्था के किसी भी देय राशि का भुगतान करने में चूककर्ता नहीं है और तीन महीने की अवधि के लिए वार्षिक सदस्यता तारीख।
- iii. संस्था के प्रत्येक सदस्य को खातों की पुस्तकों, पुस्तकों की सामान्य बैठकों की कार्यवाही के बैठक, संचालक मंडल की बैठकों और किसी भी कार्य दिवस पर सात दिन की नोटिस देकर संस्था के सदस्यों का पंजीकरण करने का अधिकार होगा।
- iv. प्रत्येक सदस्य संस्था को अपने पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा, जो कि संस्था के सदस्य के रजिस्टर में दर्ज होगा और जिस पर संस्था ऐसे सदस्य को एक नया पहचान पत्र जारी करेगा।

8. सदस्यता की समाप्ति: किसी भी व्यक्ति को संस्था के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है वे निम्नलिखित घटनाओं में संस्था का सदस्य नहीं रखा जाएगा:

- i. अधिनियम के धारा 22 में निहित प्रावधानों को आकर्षित करता है;
- ii. संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध व विपरीत करता हो.
- iii. ऐसे सदस्य जो की संस्था के वित्तीय दुर्व्यवहार का दोषी पाया जा रहा है;
- iv. जिला रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार सामान्य संस्था द्वारा हटाने के लिए अभियोग और निर्देशों पर;
- V. एक मानदेय सदस्य संस्था का सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि संचालक मंडल इस निर्णय में एक प्रस्ताव पारित करके फैसला लेता है।

9. सामान्य सभा

- i. संस्था में सदस्य के रूप में स्वीकार किए गए हर व्यक्ति संस्था के संचालक मंडल का सदस्य होगा और संस्था के संचालक मंडल के चुनाव के लिए अपना वोट देने का हकदार होगा, जब तक कि कोई भी भुगतान वार्षिक अंशदान बकाया नहीं किया जाता है,
- ii. प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपना वोट दे देगा और प्रतिनिधि वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. सामान्य निकाय की बैठकें:

- i. समाज के सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की जाएगी और जब आवश्यकता होगी, समाज के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक, जिसे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कहा जाता है, को वित्तीय वर्ष के समापन के 6 महीने के भीतर एक वर्ष में आयोजित किया जाएगा, जिसे व्यवस्थित रूप से वार्षिक खातों के विचार और अपनाने के लिए लिया जाएगा और इसकी संस्था की आवश्यकता हो सकती है
- ii. संस्था के संचालक मंडल, संस्था के सामान्य निकाय की किसी भी समय किसी भी समय निर्धारित नोटिस देने के बाद, अपनी खुद की या एक लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर, इस तरह के आयोजन के

कारणों के साथ, एक असाधारण बैठक आयोजित कर सकते हैं। सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 वीं से बैठक।

iii. सामान्य निकाय की किसी भी मीटिंग के लिए, व्यापार के एजेंडे की एक प्रति के साथ कम से कम 14 दिनों का एक स्पष्ट नोटिस, वर्तमान समय के लिए और बैठक का स्थान सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। इस तरह की सूचना का जिला रजिस्ट्रार को भी अनुमोदित किया जाएगा।

iv. साधारण सभा के सदस्यों की बहुमत (कुल सदस्यों में से कम से कम 50% से कम) द्वारा साधारण सभा की एक बैठक को छोटी सूचना पर बुलाया जा सकता है, यदि सहमति है, तो।

v. कोरम सामान्य सदस्यों की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 40% हिस्सा व्यक्ति उपस्थित होंगे, और, कम से कम चार सदस्य होंगे। कोरम की इच्छा के लिए स्थगित बैठक की स्थिति में, स्थगित बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के 10% से कम नहीं होगी, न्यूनतम तीन के अधीन। सामान्य निकाय किसी विशेष रिजोल्यूशन के विचार को छोड़कर ऐसे स्थगित बैठक में सभी व्यवसायों को संचालित करने के लिए सक्षम होगा। इस तरह की स्थगित बैठक में किसी भी विशेष प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, यदि तभी संस्था के कुल सदस्यों में कम से कम 25% मौजूद हैं।

vi. साधारण सभा की सभी बैठकों की कार्यवाही मिनिट्स-बुक (बाध्य या अलग-अलग छुटियाँ) संस्था के सचिव के द्वारा दर्ज की जाएगी, व संस्था के सचिव के लिए अलग से बनाए व रखा जाएगा।

11. सामान्य निकाय के अधिकार, कार्य और कर्तव्यों:

i. संस्था अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था के कुछ मार्गदर्शन है।

ii. संस्था के नाम में परिवर्तन, संस्था के ज्ञापन में संशोधन और संस्था के उपक्रमों, संस्था के वार्षिक खातों को स्वीकृति देने, संस्था की अचल संपत्तियों के निपटान के लिए अनुमोदन आदि जैसी नीतिगत मामलों का निर्णय करना और ऐसे सभी अन्य कार्य जैसा कि हरियाणा पंजीकरण और संस्था अधिनियमों और नियमों के नियमन, 2012 के तहत आवश्यक हो सकता है।

iii. संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव करने के लिए।

v. संचालक मंडल से किसी भी सदस्य को निकालने के लिए और संचालक मंडल के सदस्यों को नियुक्त व्यक्ति की निरंतरता के अनुमोदन के अनुसार, आकस्मिक रिक्ति के खिलाफ।



For Sevadharam Patient Care Society

[Signature]
President Secretary Treasurer

12. संचालक मंडल

a. रचना: संस्था के संचालक मंडल में कुल 11 पद, पदाधिकारियों और सदस्यों को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

i. अध्यक्ष

ii उपाध्यक्ष

iii महासचिव / सचिव

IV सह सचिव

v. कोषाध्यक्ष

VI संचालक मंडल द्वारा किसी भी मानद सदस्य के सह-विकल्प सहित छह कार्यकारी सदस्य शामिल किया जाएगा।

b. संचालक मंडल का चुनाव:

i. संचालक मंडल का कार्यकाल जिला रजिस्ट्रार द्वारा अपने चुनाव के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

ii संचालक मंडल चुनावों के कार्यक्रम घोषित करेगा और चुनाव के संचालन के लिए वापसी अधिकारी को नियुक्त करेगा और सामान्य निकाय के सदस्य की सूची को सूचित करेगा / प्रदर्शित करेगा जिसमें हकदार होने के लिए कम से कम 45 दिन पहले आम बैठक आयोजित करने के हकदार होंगे। चुनाव संचालक मंडल सभी सदस्यों को संचालक मंडल के चुनाव कराने के लिए नोटिस भी भेजेगा। तिथि, समय और तरीके को संदेश देना प्रशासित निकाय के लिए चुनाव की जानकारी w.r.t को भी एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए जिला रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, अगर वह चाहें तो।

iii किसी भी आपत्ति के रूप में मतदान के हकदार संस्था के सदस्यों की सूची का निर्णय रिजर्विंग ऑफिसर द्वारा सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श में किया जाएगा। हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम होगा। उसके बाद लौटाने वाले अधिकारी, नामांकन के लिए नामांकन के समय में नामांकन के लिए आमंत्रित करेंगे, चुनावों की जांच, नामांकन की वापसी और निकासी, यदि कोई भी कार्यालय के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए और संचालक मंडल के निष्पादित सदस्यों के लिए।

iv रिटर्निंग ऑफिसर, संस्था के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ रहे सदस्यों की एक सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अधिसूचित तिथि पर चुनाव आयोजित करेगा। मतदान करने के पात्र सदस्यों को टिकट द्वारा अपना वोट देने की अनुमति दी जाएगी, और जहां भी नियुक्त किया गया है, संस्था द्वारा जारी मतदान पत्र के उत्पादन पर।

For Sevadharan Patient Care Society

President

Secretary

Treasurer

v. मतदान की तारीख के समापन के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा और संस्था के संचालक मंडल का गठन करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संचालक मंडल के निर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यों की एक सूची, 30 दिनों के भीतर जिला रजिस्ट्रार के साथ दर्ज की जाएगी, जो अपनी संतुष्टि पर उसी के अनुमोदन के अनुरूप होंगे।

vi. संस्था के कार्यालय के पदाधिकारी संस्था को सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. संचालक मंडल पर किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भरना:

गवर्निंग बॉडी के किसी भी सदस्य या किसी अन्य कारण से इस्तीफा या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति, यदि आवश्यकता हो तो, अगले हफ्ते तक आम धारणा के आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों के माध्यम से, संचालक मंडल द्वारा भर सकता है संस्था की वार्षिक आम बैठक संचालक मंडल के इस तरह के एडहॉक सदस्य को अगले वार्षिक आम बैठक की तारीख को संचालक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर उनकी नियुक्ति संचालक मंडल की शेष टीम के लिए बहुमत से वार्षिक बैठक में स्वीकृति नहीं है।

14. संचालक मंडल की बैठक:

i. संचालक मंडल की बैठकों के रूप में आयोजित किया जाएगा और जब आवश्यक हालांकि, संचालक मंडल हर तिमाही में पिछली बार बैठक करेगी और वित्तीय वर्ष में संचालक मंडल की न्यूनतम चार बैठक होगी।

ii. प्रत्येक ऐसी बैठक के तीन दिनों का एक स्पष्ट नोटिस, संचालक मंडल के सचिव द्वारा बैठक के लिए नियुक्ति की तारीख से पहले पदाधिकारियों और सदस्यों को दिया जाएगा। हालांकि, संचालक मंडल अपने सदस्यों के कम से कम (50%) पचास प्रतिशत की सहमति से, जहां कहीं भी जरूरी हो, कम सूचना में मिल सकता है।

iii. संचालक मंडल की बैठकों का कोरम कम से कम 5 सदस्यों के अधीन, संचालक मंडल के कुल सदस्यों का कम से कम 40% होगा। यदि कोरम मौजूद नहीं है, तो बैठक एक और तारीख को स्थगित कर दी जाएगी जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। स्थगित बैठक में मौजूद सदस्यों, जो कम से कम तीन सदस्यों के अधीन हैं, स्थगित बैठक कोरम का निर्माण करेगा।

iv. संचालक मंडल की हर बैठक की कार्यवाही इस उद्देश्य के लिए अलग से रखी गयी कार्यवाही के तहत दर्ज की जाएगी। इस तरह के मिनटों के बैठक के अध्यक्ष और संस्था के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष या सचिव मिनटों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो ये बैठक में उपस्थित किसी भी दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो संचालक मंडल द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं।

v. संचालक मंडल की हर बैठक के मिनटों को संचालक मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा।

15. संचालक मंडल के अधिकार, कार्य और कर्तव्यों:

- i. संचालक मंडल संस्था के उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा और संस्था के सर्वोत्तम हित में काम करेगा, जिसके लिए इसे उक्त उद्देश्यों के लिए संस्था के धन और परिसंपत्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- ii. नियामक निकाय निधियों और खरीद संपत्ति, चल और अचल को बढ़ाने के लिए सक्षम हो सकते हैं, इसके नाम पर निः शुल्क या कम से कम आधार पर, इसके द्वारा तय किया गया है।
- iii. संचालक मंडल को संस्था में सभी संबंधित गुणों और चलन योग्य परिसंपत्तियों का पूर्ण प्रभार होगा और इनका प्रबंधन इस तरह से किया जाएगा कि यह संस्था के सामान्य निकाय के समग्र नियंत्रण और दिशा-निर्देशों के अनुरूप उचित विषय मानता है।
- iv. संचालक मंडल, धन के निवेश के लिए सक्षम होगा, जिस तरह से वह संस्था के सर्वोत्तम हित में उचित समझता है और यह उधार या बंधक या उस स्थान पर निर्धारित संपत्तियों में संस्था की ओर से गुणों को जबाब करने के लिए सक्षम होगा।
- v. समय-समय पर नियत किए जाने वाले ऐसे कार्यों की देख-रेख करने के लिए विभिन्न खड़े या समितियों का गठन करना।
- vi. सचिवीय लेखा और अन्य कार्यों को एक सहज तरीके से देखने के लिए संस्था के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों की कार्य के लिए प्रावधान करना।
- vii. कुछ कार्यों को आउटसोर्स करना, उदा। सफाई, सुरक्षा और संस्था के परिसर की इसी तरह की अन्य रखरखाव गतिविधियां

16. गवर्निंग बॉडी के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियों का कार्य और कर्तव्यों:

i. अध्यक्ष

- a. सामान्य निकाय और संचालक मंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए और ऐसी बैठकों की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए।
- b. ऐसे सभी कृत्यों, कर्मों और चीजों को करने के लिए जिन्हें साधारण सभा और / या संचालक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया जा सकता है।
- c. चर्चा या किसी भी विषय को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए जो एजेंडे में शामिल नहीं है।
- d. संस्था / संचालक मंडल के उचित और पारदर्शी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए।
- e. हरियाणा पंजीकरण और संस्था अधिनियम, 2012 के नियमों के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और इसके तहत वहां के नियम बनाए गए हैं।
- f. समग्र गतिविधियों / संस्था के उद्देश्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए।

ii. उपाध्यक्ष

- a. अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अध्यक्ष की सहायता करना।
- b. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से कार्य करना और सभी कर्तव्यों का पालन करना और अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग करना।
- c. ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि संचालक मंडल द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

iii. महासचिव / सचिव:

- a. संस्था के सभी मामलों को व्यवस्थित करने, संगठित करने, पर्यवेक्षण और प्रबंधन करने और इस तरह के सभी कृत्य संस्था के कार्य के लिए सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं जो अध्यक्ष / संचालक मंडल द्वारा सौंपा जा सकता है।
- b. गवर्निंग बॉडी के समक्ष संस्था की सदस्यता के लिए आवेदनों की जांच करना और स्थिति देना और सदस्यों के नाम दर्ज करने के लिए, इसे अपने आद्याक्षर के तहत सदस्यों के रजिस्टर में स्वीकृत करना और सदस्यों को उसी के बारे में जानकारी देना और पहचान पत्र जारी करना। जितने सदस्यों को भर्ती कराया है।
- c. अध्यक्ष की सहमति से सामान्य निकाय / संचालक मंडल की बैठकों को सम्मिलित करने के लिए और इन उपनिवेशों के तहत निर्धारित उचित नोटिस की सुविधा के लिए।
- d. सामान्य निकाय और संचालक मंडल की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए और सभी बैठकों और रिकॉर्ड कार्यवाही आयोजित करने में अध्यक्ष की सहायता करना।
- e. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए और इसे संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, साथ ही सामान्य निकाय में, वार्षिक सामान्य बैठक में संस्था के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ इसे स्थानांतरित करने के लिए।
- f. संस्था / संचालक मंडल के रिकॉर्ड रखने और बनाए रखने के लिए।
- g. संस्था के पूर्ण मामलों की देखरेख में और संस्था के उद्देश्य और वस्तुओं को प्राप्त करने में अध्यक्ष को सहायता करना।
- h. जिला रजिस्टर के कार्यालय में सभी वैधानिक रिटर्न / दस्तावेजों को समय-समय पर दाखिल करने के लिए और हरियाणा के पंजीकरण और संस्था अधिनियम, 2012 के तहत निर्धारित नियमों और अन्य नियमों के अनुसार, वहां के नियम बनाए गए हैं।
- i. गवर्निंग बॉडी के प्राधिकरण के अनुसार, संस्था के आम मुहरों की सुरक्षित हिफाजत के लिए प्रमाणिक हस्ताक्षरों के लिए और जहां भी जरूरी हो, उसी को लागू करना।



For Sevadharam Patient Care Society

अर्जुन वाजपेयी
President Secretary Treasurer

j. संस्था / गवर्निंग बॉडी की ओर से पत्राचार का संचालन करने और इसके लिए पत्र और कागजात पर हस्ताक्षर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वैधानिक रजिस्ट्रारों और अभिलेख ठीक से रखे और बनाए रखा जाए।

k. चुनाव तिथि और वार्षिक आम बैठक की घोषणा करने से पहले तैयार करने के लिए, सभी सदस्यों की सूची, जो कि मतदान के योग्य है, विधिवत अद्यतन और इसे संचालक मंडल के सामने रखने के लिए।

l. प्रशासन के समग्र प्रभार के रूप में कार्य और प्रशासनिक निकाय सहित प्रशासनिक निकाय सहित पदों के निर्माण, वेतन / पारिश्रमिक / भत्ते आदि के सभी कार्यक्रमों के निष्पादन के रूप में कार्य करना, कर्मचारियों की नियुक्ति / सगाई करना, खरीददारी करना और समय-समय पर गवर्निंग बॉडी द्वारा प्रतिनिधिमंडल के अनुसार संस्था के उद्देश्य व वस्तुओं को आगे बढ़ाने में आवश्यक अन्य सभी चीजें करते हैं और जहां ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से नहीं किया जाता है, वहां संस्था के अध्यक्ष से परामर्श लेना।

iv. सह सचिव:

a. अपने कार्य और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संस्था के महासचिव / सचिव की सहायता करना।

b. शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत हद तक उनकी अनुपस्थिति में संस्था के महासचिव / सचिव के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए।

c. ऐसे कार्यों को ध्यान में रखते हुए और समय-समय पर संस्था के संचालक मंडल द्वारा सौंपा जा सकता है और उन्हें सौंपे जाने वाले ऐसे शक्तियों का इस्तेमाल करना।

v. कोषाध्यक्ष

a. संस्था के सभी वित्तीय लेनदेन के खातों और संस्था द्वारा प्राप्त और खर्च किए गए सभी धनराशि के खातों को रखने के लिए और ऐसी मामलों, और परिसंपत्तियों, क्रेडिट और देनदारियों से संबंधित रसीदों और खर्च के रिकॉर्ड को बनाए रखना। संस्था के खाते पाने के लिए वित्तीय वर्ष के समापन पर संचालक मंडल द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हर साल धनराशि के खातों को रिकॉर्ड को बनाए रखना।

b. सामान्य सचिव / सचिव के माध्यम से संचालक मंडल को संस्था के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की तिथि से कम से कम एक महीने पहले प्रस्तुत करना।

c. संस्था के खातों की सारी पुस्तकों के समग्र संरक्षक के रूप में कार्य करना, वित्तीय विवरण, रसीदें, किताबें, वाउचर, बैंक पास बुक और चेक बुक, नकद इत्यादि।

17. संचालक मंडल के सदस्यों की समाप्ति: संचालक मंडल का एक कार्यालय-भागीदार / कार्यकारी सदस्य किसी पदाधिकारी या कार्यकारी सदस्य नहीं रह जाएगा।

a. अपने इस्तीफे की प्रस्तुति और स्वीकृति पर।



For Sevadharam Patient Care Society

अनिता कपूर
President Secretary Treasurer

ख. यदि इन उप-नियमों के खंड (4) के उपखंड (8) के अनुसार वह सदस्य नहीं रह जाता है।

c. यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा हटा दिया गया है।

18. एक संस्था के रोजगार से बहिष्करण:

a. संस्था का कोई भी सदस्य संस्था के पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार में नहीं होगा।

b. अधिकारी पदाधिकारी और गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के सदस्यों के करीबी रिश्तेदार पर निर्भर या परिवार के किसी सदस्य को अपने कार्यकाल के दौरान संस्था के कर्मचारी के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

c. प्रत्येक पदाधिकारी और संचालक मंडल का सदस्य किसी भी व्यक्ति को संस्था के काम-काज के मामले में घोषणा कर सकता है, चाहे वह निकट रिश्तेदार हो।

19. संघ के ज्ञापन में, उपनिवेशों, संस्था का नाम आदि में संशोधन। संघ और उपनिवेशों के ज्ञापन में कोई भी संशोधन, या नाम बदलने, समामेलन या संस्था के विभाजन को केवल सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदन के साथ किया जाएगा। एक विशेष प्रस्ताव का तरीका किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना, आवश्यक दस्तावेजों की साक्ष्य प्रति के साथ, सामान्य सचिव / सचिव द्वारा जिला पंजीयक के कार्यालय में ऐसे समय के भीतर दर्ज किया जाएगा जो हरियाणा पंजीकरण और संस्था अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है, 2012 और इसके तहत बनाए गए नियम

20. संपत्ति के प्रबंधन और संस्था के धन

i. संस्था की आय के स्रोत में सदस्यता शुल्क, वार्षिक सदस्यता, संपत्ति / परिसंपत्तियों, ब्याज, परामर्श शुल्क, दान, उपहार, अनुदान आदि से प्राप्त रसीद शामिल होंगे। संस्था भी ब्याज से मुक्त अल्पावधि ऋण के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम है। उसके सदस्यों या ब्याज पर अनुसूचित बैंकों से। अनुसूचित बैंकों से ब्याज पर ऋण केवल पूंजीगत आस्तियों के निर्माण की खरीद के लिए लिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए नहीं लिया जाएगा।

ii संचालक मंडल, वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय और पूंजी और राजस्व व्यय के आधार पर संस्था के वार्षिक बजट को तैयार और अनुमोदित करेगा और सामान्य निकाय में पहले की वार्षिक आम सभा जानकारी के लिए।

iii संस्था के बैंक खातों को संयुक्त रूप से ऐसे सदस्यों / पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा तय किया जा सकता है।

IV सभी परिसंपत्तियां और धन संस्था में शामिल होंगे और संस्था में निहित होंगे।



V सभी प्राप्तियां और भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाएगा (जैसे डीडी / वेतन आदेश / चेक / बैंक ट्रांसफर / आरटीजीएस), सभी प्राप्तियां सदस्यता शुल्क और सदस्यों की वार्षिक सदस्यता के अनुसार। हालांकि, संचालक मंडल वित्तीय लेनदेन की सीमा निर्धारित कर सकता है, जो कुछ अन्य मामलों में नकद में आयोजित किया जा सकता है।

21. संस्था के लेखा:

- संस्था के कोषाध्यक्ष खाते के उचित पुस्तकों को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे जैसे कि नकद पुस्तक, खाताखारी आदि। आयकर कानूनों और / या भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान सहित किसी भी अन्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कार्यालय संस्था द्वारा प्राप्त और व्यय की सभी रकम के संबंध में और संस्था की परिसंपत्तियां और देयताएं।
- रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी और किसी भी सदस्य द्वारा संस्था के खातों की किताबें, व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।
- संस्था के वार्षिक खातों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो संस्था के किसी भी दो अधिकृत कार्यालय पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
- संचालक मंडल एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति करेगा, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खातों का लेखा-परीक्षा और संस्था के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए संचालक मंडल के किसी भी सदस्य के संचालक मंडल या पारिवारिक सदस्य का सदस्य नहीं होगा पारिश्रमिक के रूप में संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

22. आम सील:

संस्था में एक सामान्य मुहर होगा जो सामान्य सचिव / सचिव की सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा और जहां सामान्य संगठन द्वारा प्राधिकरण के अनुसार आवश्यक है वहां उसे लगाया जाएगा।

23. सोसाइटी का एकीकरण:

संस्था समान लक्ष्य और वस्तुओं के साथ स्थापित किसी भी अन्य संस्था के साथ मिलाकर एक संस्था बन सकती है या किसी अन्य संस्था को उस विधेयक के तहत अधिसूचित अधिनियम और नियम 25 के अंतर्गत प्राधान्यों के अनुसार इस तरफ से पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वयं को एकजुट करने की इजाजत दे सकता है।

24. संस्था का विघटन



For Sevadharam Patient Care Society
अमिता बज्जिया
President Secretary Treasurer

i. संस्था में कार्य में निहित प्रावधानों और नियमों के अनुसार खुद को भंग करने का समाधान हो सकता है, यदि यह संस्था के संचालन को जारी करना मुश्किल हो जाता है, या यह दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य दबाव और अपरिहार्य कारणों के लिए।

ii. संस्था के विघटन की स्थिति में, संस्था के किसी भी परिसंपत्ति को संस्था के सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा।

iii. इसकी परिसंपत्तियों और संपत्तियों का उपयोग किसी भी देनदारियों और बायां संपत्तियों / परिसंपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा, यदि कोई भी समान उद्देश्य और वस्तुओं के साथ स्थापित किसी भी अन्य संस्था या सामान्य जनहित में उसके उपयोग के लिए जिला कलेक्टर के लिए स्थानांतरण के लिए विचार किया जाएगा।

हम, जिनके नाम और पते के साथ यहां सदस्यता ली जाती है, वे कई व्यक्तियों को संस्था के उप-नियमों की वास्तविक प्रतिलिपि प्रमाणित करते हैं।

स.न	नाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
-----	-----	-------------------	-----	---------	-----------

For Sevadharam Patient Care Society
अर्जुन वर्मा
President Secretary Treasurer



संस्था के स्मृतिपत्र

1. संस्था का नाम: सेवाधर्म पेसेंट केयर सोसायटी (एन.जी.ओ)
2. पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं .948, सेक्टर -28, फरीदाबाद -121008, हरियाणा, भारत
3. संचालन क्षेत्र: फरीदाबाद (हरियाणा)
4. लक्ष्य स्थान: सम्पूर्ण फरीदाबाद हरियाणा भर में
5. लक्ष्य और उद्देश्य:

- 1) अस्पताल और उनके निवास में रोगी, बूढ़े व्यक्ति आदि की देखभाल के लिए अटेंडर, नर्स की व्यवस्था करना।
- 2) चिकित्सा उपकरणों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बीमार रोगियों के लिए जैसे: हॉस्पिटल बेड ,व्हील चेयर, ऑक्सीजन,सी-पेप, वेंटीलेटर, सक्शन मशीन, कार्डिएक मॉनिटर, आदि की व्यवस्था करना।
- 3) एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करना।
- 4) फिजियोथेरेपी सेवाओं के लिए भौतिक चिकित्सकों की व्यवस्था करना।
- 5) नेचुरोपैथी सेवाओं के लिए प्राकृतिक चिकित्सकों की व्यवस्था करना।
- 6) आवश्यकतानुसार मृत शरीर के लिए वाहनों की व्यवस्था करना।
- 7) बृद्धा आश्रम, कुष्ठ आश्रम, अंधाश्रम, की व्यवस्था और भोजन, कंबल, शाल, जूते, छाता इत्यादि जरूरतमंद व भरोसेमंद व्यक्ति को वितरित करना।
- 8) मुफ्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के सहायता प्रदान व कार्यक्रम शुरू करना ।
- 9) स्वास्थ्य के लिए योग शिविर, सत्संग आदि की व्यवस्था व कार्यक्रम आयोजित करना।
- 10)सेवाधर्म संस्था सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था करती है।
- 11)दैनिक शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।
- 12)विभिन्न सामाजिक कल्याण परियोजनाओं / योजनाओं पर सेमिनारों, कार्यशाला आदि की व्यवस्था और संचालन और दान करने का आयोजन भी करती है।
- 13)सार्वजनिक स्थान और अन्य अवसरों पर संस्था के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- 14)सार्वजनिक और संस्था के ज्ञान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में निशुल्क प्रशिक्षण के लिए व्यवसायसंबंधी- प्रशिक्षक के व्यवस्था करना।
- 15)संस्था के द्वारा पशुओं / गायों के लिए चारे और पानी के व्यवस्था करना। और गौशाला परियोजना में भाग लेना।
- 16)हमारी संस्था सेवाधर्म को जो भी धन राशि सेवा के बदले मिलती है उसे वह दान स्वरूप से स्वीकार करती है और उसमे जो भी संस्था से जुड़े सेवक होते है उन्हें मानदेय के रूप में ही देती है
- 17)समाज कल्याण , बल कल्याण महिला कल्याण , विकलांग कल्याण गूंगे बहरो के कल्याण हेतु कार्य।
- 18)प्रौढ़ शिक्षा , संगीत शिक्षा, खेल शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण।

For Sevadharam Patient Care Society

2

अनीता राजपूत
President

A. B. G. G. G.
Secretary Treasurer



- 19) नशा बंदी शिविर , नेत्र शिविर रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर जनहित कार्यों के लिए शिविरों का आयोजन करना।
- 20) पर्यावरण सुधर सामाजिक एवं साधारण के उत्थान के लिए बिना जाती भेद वर्ग के लिए भेद के स्वर्गियेन विकास को संस्था अग्रसर करेंगे
- 21) सम्प्रदयकता के खिलाफ संघर्ष करना संस्था का मूल उद्देश्य होगा.
- 22) झूलाघर, वृद्धाश्रम जागरूकता ,शिविर परिवार कल्याण एवं संस्था शिविर नशा बंदी परिवारपरामर्श केंद्र अनाथालय पोषण आहार आदि के कार्य करना।
- 23) पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करना।
- 24) ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एवं महिलाओं में जागृति के लिए शिविर लगाना तथा पोषण आहार केन्द्रों का संचालन करना।
- 25) महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित तथा सामाजिक न्याय एवं पंचायत विभाग द्वारा विभागीय मान्यता प्राप्त कर समस्त योजनाओं पर कार्य करना।
- 26) दहेज प्रथा को समूल नष्ट करने हेतु सामूहिक , विधवा एवं आदर्श विवाहो का सम्मलेन आयोजित करना। सामाजिक कुतियों जैसे - दहेज प्रथा ,नशाबन्दी , बाल विवाह ,अंध विश्वास अन्य कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करना।
- 27) शिक्षा के प्रसार हेतु शिक्षण ,संस्थाओं का संचालन करना ,प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों , इंजीनियरिंग , कॉलेज ,मेडिकल कॉलेज ,डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल ,कंप्यूटर शिक्षा , मैनेजमेंट कोर्सेस ,नर्सिंग कोर्सेज ,पैरा मेडिकल कॉलेज योगा ,प्रशिक्षण आदि , उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।
- 28) महिलाओं को जागरूक बनाने ,जागरूकता शिविर ,विधिक सहायता केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, स्वावलम्बी प्रशिक्षण केंद्र एवं सहायता हेतु कार्यक्रम संचालित करना।
- 29) खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक आयोजन करना। संत महापुरुषों की जयंतीओं का आयोजन करना।
- 30) औपचारिक शिक्षा केंद्र , प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एवं प्रौढ़ महिलाओं हेतु शिक्षा केंद्र व पत्राचार शिक्षा केंद्र , अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जात जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए अनुसूचित जाती बालक ,कन्या आश्रम आवासीय विधालयों एवं साक्षरता का प्रचार एवं प्रसार करना
- 31) निराश्रित विकलांग असहाय जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करना कुष्ठ रोग निवारण करना ,पीड़ित , प्रताड़ित , विधवा ,परित्यक्ता ,गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले ,मुम्मी इतपड़ी वासी पर्वतीय क्षेत्र की निवासी ,गन्दी बस्ती निवासी ,अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जाति ,पिछड़ा वर्ग एवं

अल्पसंख्यक तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई कढ़ाई, बुनाई टाइपिंग कंप्यूटर ब्यूटी पार्लर पेंटिंग हस्तशिल्प व व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं घुलधर आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, केश, बाल विकास केंद्र शिशु रक्षा केंद्र बल आश्रम अनाथालय बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था करना उनके कल्याणार्थ हेतु अन्य योजनायें कृपित करना।

32) अंधे, लंगड़े लूले बहरे मूक वधिर शारीरिक रूप से विकलांग व नेत्रहीन एवं शारीरिक रूप से कमजोर, निराश्रित अनाथ के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना व पंचायत एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना नशा मुक्ति एवं पुर्नवास केंद्र खोलना एवं बृद्धाश्रम संचालित करना व पंचायत एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना, नशा मुक्ति एवं पुर्नवास केंद्र खोलना एवं बृद्धाश्रम संचालित करना, केयर यूनिट व ड्रग्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं सलाह देना व बढ़ती हुई नशा प्रवृत्ति को रोकथाम हेतु कार्य करना व समाज में व्यस्त बुराइयों को दूर करने के लिए कला मण्डली के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना। सामाजिक बुराइयों को मिटाने का प्रयास करना तथा समाज में एकरूपता लाना।

33) स्वास्थ्य केंद्र खोलना, परिवार नियोजन व परिवार परामर्श केंद्र, महिला बल स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन पल्स पोलियो टीकाकरण, एड्स जागरूकता उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना। समाज में यौन रोगों के संभावित खतरों के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए शासन की नीतियों के अनुरूप यौन शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित करना एवं चलित तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम चिकित्सक केंद्र का संचालन तथा एड्स नियंत्रण एवं एनिमिक खून की कमी वाले विधार्थियों के उपचार हेतु निःशुल्क दवाइयों देना, संक्रामक रोगों का रोकथाम हेतु कार्य करना एवं जानकारी देना व एड्स, हैपेटाइटिस बी, क्षय, पोलियो, कैंसर, कुष्ठ आदि बीमारियों के उपचार केंद्रों का संचालन करना।

34) बृद्धाश्रम का संचालन करना तथा प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक केंद्र का संचालन करना। अनाथ एवं निराश्रित बालक के लिए अनाथालय की स्थापना करना तथा उनके लिए स्नेही कुटीर केंद्र खोलना एवं अनुसूचित एवं अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं के लिए आश्रम एवं छात्रावासी विधालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

35) महिला जाग्रति शिविर, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण, उपभोक्ता जागरूकता, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम एवं समस्त स्वच्छता अभियान, योगा शिक्षा, योग प्रशिक्षण शिविर, प्राकृतिक

For Sevadharan Patient Care Society

4

President Secretary Treasurer

एवं योग चिकित्सा कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम तथा भारत सरकार व प्रदेश सरकार के मंत्रालयों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन एवं आयोजन करना।

- 36) जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ महिला बल विकास एवं पंचायत समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त कर शिक्षण प्रशिक्षण देना व तकनीकी शिक्षा, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, कंप्यूटर, संगीत, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र एवं फैशन डिजाइनिंग से सम्बंधित प्रशिक्षण करना आदि केन्द्रों की स्थापना करना व संचालित करना।
- 37) समाज कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रयास करना। शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों हेतु शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों एवं पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों के विकास एवं चिकित्सा हेतु सामान्य तथा स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन करना।
- 38) कंप्यूटर शिक्षा को सम्पूर्ण देश में प्रचारित करने हेतु विभिन्न कम्प्युटर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना, शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर एवं टेक्निकल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करना, नावार्ड, नौराड एवं कपार्ट योजनान्तर्गत केंद्र खोलना व उनका संचालन करना।
- 39) जल संरक्षण व जल सम्बर्धन के कार्यक्रम का प्रचार - प्रसार एवं इससे सम्बंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- 40) निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ, हुडको महिला बल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, खुडडा सूडा सिडवी राष्ट्रीय महिला कोष बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि, महिला कल्याण निगम राष्ट्रीय बाल भवन, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड, श्रम मंत्रालय, राजीव गाँधी फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, संस्कृति विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग नेहरू युवा केंद्र, श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर जनमानस के लिए कल्याणकारी कार्य करना। साँझा चूल्हा एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम व पोषण आहार कार्यक्रम का संचालन करना।
- 41) गौशालाओं एवं नौसदनों की स्थापना करके असहायक विकलांग एवं अनुत्प्रेक्षितों की रक्षा करना। गाय के गोबर एवं गौमूत्र का खाद के रूप में एवं औषधि के रूप में उपयोग करने की



For Sevadharam Patient Care Society
President Secretary Treasurer

प्रेरणा देना। गौस्बरधान कार्यक्रम के एक भाग के सुप में एवं पशु के समुचित दोहन के लिए वैज्ञानिक रीती से अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम चलाना।

42) कौशल विकास प्रशिक्षण ,स्किल इण्डिया ,स्टार्टअप इंडिया ,डिजिटल इंडिया ,ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण ,स्वच्छ भारत अभियान आदि योजनाओं का क्रियान्वयन समाजहित में करना।

A. संस्था का सदस्य बनने एवं सह सदस्य बनाने के नियम।

1. संस्था का सदस्य बने.
2. कोई भी हमारे संस्था का सदस्य बन सकता है.
3. हमारी संस्था में सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
4. हमारी संस्था का सदस्य बनने के लिए सदस्यता फीस शुल्क १००० दान के रूप में देना होगा।
5. हमारी संस्था के सदस्य सह सदस्य बना सकते हैं।
6. हमारी संस्था का सदस्य दिवालिया नहीं होना चाहिए।
7. हमारी संस्था के सदस्य व सह सदस्य सभी को सदस्यता फीस दान के रूप में देना होगा
8. हमारी संस्था सदस्य को इनाम व मानदेय प्रदान कर सकती है।
9. हमारी संस्था के सदस्य की कोई सिमित संख्या नहीं है
10. हमारी संस्था का सदस्य ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर भी सदस्य बन सकता है

B. संस्था में रहने वाले मरीजों के लिये हमारे गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) नियम।

1. आप स्वयं रोगी के किसी भी आपात स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।
2. हमारे गैर सरकारी संगठन रोगी की सेवा और देखभाल करता है।
3. हमारे गैर सरकारी संगठन अस्पताल और चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में काम नहीं करता है।
4. हमारे गैर सरकारी संगठन आपातकालीन मरीज की हालत के मामले में किसी भी समय आप को सूचित कर सकते हैं।
5. हमारे गैर सरकारी संगठन आप और आपके चिकित्सक की सलाह दी दिशानिर्देशों पर आपके मरीज के साथ काम करता है।
6. हमारे गैर सरकारी संगठन सेवाओं की अवधि में रोगी की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो
7. हमारे गैर सरकारी संगठन सेवाओं की अवधि में रोगी की छुट्टी और मौत के मामले में दान वापसी नहीं होगी।



For Sevadharan Patient Care Society
[Signature] [Signature] [Signature]
President Secretary Treasurer

C. हमारे गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) बाह्य नियम।

1. सेवाओं के तीन दिनों के बाद दानदाताओं को 15 दिन की सहायतार्थ हेतु सहयोग राशी देना अतिआवश्यक है।
2. दानदाताओं द्वारा दिया गया दान या सहयोग राशी वापस नहीं कि जाएगी।
3. दानदाताओं को हमारे सहायक से सहयोग राशी का कोई भी प्रश्न नहीं करना है और कोई लोभ या राशी का प्रयोजन नहीं देना है।
4. हमारे सहायक घर का कोई भी काम नहीं करेगा।
5. हमारे सहायक से कोई भी अव्यवस्था हो ने पर आप को संस्था को सूचना देना आवश्यक है ।
6. आपके द्वारा दी गयी सहयोग राशी योगदान है ।

D. हमारे गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) नीति।

1. हमारे सेवाधर्म गैर सरकारी संगठन उचित दान में मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, रोगी की देखभाल, नर्सिंग सेवाओं, एम्बुलेंस सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों के सभी प्रकार प्रदान करता है।
2. हमारे गैर सरकारी संगठन ग्राहकों की शिकायतों की 100% सुधार की कोशिश करता है।
3. हमारे गैर सरकारी संगठन 24 घंटे मरीजों की देखभाल के लिए सभी सेवाएं प्रदान करता है।
4. हमारे गैर सरकारी संगठन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम करता है।
5. हमारे गैर सरकारी संगठन को सभी सेवाओं के अवधि में आपकी मदद अति आवश्यक है
6. हमारे गैर सरकारी संगठन हमेशा सबसे अच्छा और जल्दी से सभी सेवाएं प्रदान करना चाहता है।
7. हमारे गैर सरकारी संगठन सेवाओं की अवधि में रोगी की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है।



For Sevacharam Patient Care Society

मनोज कुमार
President

र. उ. शर्मा
Secretary

पवन
Treasurer

शर्तें / परिस्थिति

संस्था की सभी आय, कमाई ,चल ,अचल ,सम्पति ,संस्था के लक्ष्य व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा संस्था की उन्नति के लिए इसका प्रयोग किया जायेगा और केवल यह संस्था के मेमोरेण्डम में उल्लेखित व दिखाया गया है की ,

संस्था की सभी आय व कमाई की निम्न स्रोत:

1. संस्था सेवक व सेविका को शारीरिक असहाय बूढ़े व मरीज की सेवा व देखा भाल की सुविधा मरीज के घर पर व संस्था में प्रदान करती है.और सेवा से प्राप्त सभी आय दान राशि है .
2. संस्था आपातकालीन एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान करती है.और जो उससे प्राप्त राशि दान ही है .
3. संस्था अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी चल अचल सम्पति जैसे जमीन मकान मशीन,फर्नीचर ,कार,कंप्यूटर , हेल्थ केयर मशीन्स, एम्बुलेंस वैन,व अन्य प्रकार के सम्पति संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेच सकती है.
4. संस्था दान के रूप में आये हुए कोई भी चल अचल सम्पति जैसे जमीन मकान मशीन,फर्नीचर,कार,कंप्यूटर , हेल्थ केयर मशीन्स, एम्बुलेंस वैन,व अन्य प्रकार के सम्पति संस्था स्वीकार कर सकती है।
5. संस्था अपने विभिन्न उपरोक्त लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राप्त राशि दान के रूप में स्वीकार करती है.
6. संस्था अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व चल अचल सम्पति जैसे जमीन मकान,मशीन,फर्नीचर,कार,कंप्यूटर , हेल्थ केयर मशीन्स, एम्बुलेंस वैन,व अन्य प्रकार के सम्पति को खरीदने के लिए किसी भी फाइनेंस कंपनी व सरकारी व गैर सरकारी बैंक से लोन की सहायता ले सकती है।
7. संस्था अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व चल अचल सम्पति जैसे जमीन मकान मशीन,फर्नीचर ,कार,कंप्यूटर , हेल्थ केयर मशीन्स, एम्बुलेंस वैन,व अन्य प्रकार के सम्पति को खरीदने के लिए, लिए गए लोन व कर्ज की राशि को समय - समय पर किसी भी फाइनेंस कंपनी व सरकारी व गैर सरकारी बैंक को लोन वापिस करेगी।

संस्था की वयय व खर्चें

1. संस्था अपने सदस्य ,सेवक व सेविका को कोई भी राशि मानदेय के रूप में देती है।
2. संस्था को कोई भी लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के सदस्य ,सेवक व सेविका को मानदेय ,लाभांश बोनस लाभ या किसी अन्य प्रकार से भुगतान किया जायेगा।



For Sevadharam Patient Care Society

(Signature)
President Secretary Treasurer

3. संस्था अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी चल अचल सम्पत्ति जैसे जमीन मकान मशीन, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, हेल्थ केयर मशीन्स, एम्बुलेंस वैन, व अन्य प्रकार के सम्पत्ति संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खरीद सकती है।
4. संस्था अपने आप को कार्यरत रखने के लिए निम्न खर्च कर सकती है जैसे किचन एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस रिवाइस बिजली खर्च न्यूज़ पेपर एक्सपेंसेस प्रमोशन एक्सपेंसेस विगयापन व अन्य खर्च।
5. संस्था अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व चल अचल सम्पत्ति जैसे जमीन मकान मशीन, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, हेल्थ केयर मशीन्स, एम्बुलेंस वैन, व अन्य प्रकार के सम्पत्ति को खरीदने के लिए, लिए गए लोन व कर्ज की राशि को समय - समय पर किसी भी फाइनेंस कंपनी व सरकारी व गैर सरकारी बैंक को लोन वापिस करेगी।
6. यदि, संस्था के समापन या विघटन पर, अपने सभी ऋणों और देनदारियों को सही तरीके से संतुष्टि के बाद बचे रहती है, तो किसी भी संपत्ति को, वही संस्था के सदस्यों के बीच भुगतान नहीं किया जाएगा या वितरित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सम्पत्ति किसी अन्य संस्थान को दिया जायेगा या उसे स्थानांतरित किया जायेगा जो विघटन के समय या इससे पहले संस्था के सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और सभी प्रकार के सदस्यता, दान, अनुदान, व्यक्ति (व्यक्तियों) से ऋण, निजी / सार्वजनिक ट्रस्ट / संस्था, सार्वजनिक निकाय, बैंक, राज्य / केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र और इससे सम्बंधित सहित वित्तीय संस्थानों, अन्य राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दिया जायेगा जो संस्था के धर्मार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर संस्था के प्रबंध समिति द्वारा तय किए गए अनुसार खर्च व निवेश करते हैं।



For Sevadham Patient Care Society

President Secretary Treasurer